न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 37 / 2022

श्री हासिब मिया निवासी पुरानी टोंक खिडगी दरवाजा देशवालियों का मौहल्ला जिला टोंक राज.

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोडारायसिंह (भू0अ0) जिला—टोंक

——प्रत्यर्थी

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 17.10.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह (भू0अ0), जिला—टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 9—05—2022 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :—

चाही गई कटौतियों का विवरण

संबंधित कार्यालय का नाम	अवधि	राशि
तहसीलदार टोडारायसिंह (भू0अ0)जिला टोंक	DA एरियर जमा वर्ष 1989—90	356
	वेतन कटौति माह मई 91 बि.न. 359 / 04.06.91	35
	वेतन कटौति माह अगस्त 93 टी.वी.नं. 1123 / 01.09.93	50
	वेतन कटौति माह जुलाई 94 टी.वी.नं. 1912 / 30.07.94	80
	वेतन कटौति माह नवम्बर 95	80
	IR एरियर 7 / 94 से 9 / 94 बि.न.32 / 05.01.96 जमा वर्ष 95—96	1490
	DA एरियर टी.वी.नं 44 / 21.06.96	432
	वैतन व ऋण कटौति माह मार्च 98 बि.न. 01 / 04.04.96 (120+225)	345

उपरोक्त कटौतियां मेरे वेतन में से आपके कार्यालय में मेरे जीपीएफ खाता सं. 111226 में कटौति हुई जिसका इन्द्राज आपके कार्यालय मेरी जीपीएफ पासबुक में किया गया । तालिका मे अंकित कटौतिय[illegible]पीएफ पासबुक की फोटो प्रति सलग्न कर रहा हू। उपरोक्त [illegible] सेवानिवृति पर मुझे प्राप्त नही हुआ । उपरोक्त कटौतियों के GA55A अथवा क[illegible] पत्र (शड्यूल) की प्रतियां बिल सं. दिनांक व भुगतान तिथी अंकि[illegible] हुए उपलब्ध करावें । ताकि बक[illegible]शि का जीपीएफ कार्यालय टोंक से भुगतान प्राप्त कर सकूं। बकाया राशि प्रा[illegible]ने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:54:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग टोंक में दावा प्रस्तुत किया। जीपीएफ विभाग टोंक ने अपने पत्र क्रमांक 2521 दिनांक 14.03.22 द्वारा तालिका में अंकित कटौतियों के कटौति पत्र/जीए55ए मांग रहा है इस कारण से आपके कार्यालय में आरटीआई अधिनियम के तहत दस्तावेज मांग रहा हूं।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एव तहसीलदार (भू0अ0) टोडारायसिंह जिला--टोंक को पत्र कमांक 967 दिनांक 29.08.2022 व 1066 दिनांक 20.09.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) टोडारायसिंह जिला–टोंक द्वारा पत्र क्रमांकः 6891 दिनांक 16.09.2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना अपीलार्थी को पूर्व में ही उपलब्ध करवा दी गई है जिस पर प्रार्थी द्वारा सूचना प्राप्त करने के हस्ताक्षर है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) टोडारायसिंह तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:54:50 IST
Reason: SelfAttested